विदेश मंत्रालय ने कहा, ये मुद्दे हमारे देश के लिए सबसे गंभीर

चीन को चेताया, सीमा पर हालात तय करेंगे संबंध

दो टूक

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारत ने चीन के साथ सीमा मुद्दों को सबसे गंभीर बताते हुए मंगलवार को कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति व स्थिरता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमा की स्थिति दोनों देशों के आपसी संबंधों की आगे की दिशा तय करेगी।

भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 27 स्थानों और भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान उनके आधिकारिक नामों से करने के अपने फैसले की चीन की ओर से की गई आलोचना को खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है, इस अविवादित सत्य को कोई नहीं बदल सकता।

बता दें, स्थानीय लोगों के हवाले से ऐसी खबरें आई थीं कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पार करके पुकार ला और ओल्लो इलाके में घुस आए थे। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा से जुड़े मामलों में हमने हमेशा चीनी पक्ष के साथ वार्ता पर जोर दिया है। हम इन मुद्दों को सबसे गंभीर मानते हैं। इस क्षेत्र में शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि विगत छह अगस्त को भारत-चीन सीमा मामलों पर सलाह और तालमेल के लिए वर्किंग मैकेनिज्म की 36वीं बैठक में भी इस बात को दोहराया गया। बैठक में दोनों पक्षों ने एलएसी पर हालात की समीक्षा की थी। भारतीय पक्ष ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि सीमा इलाकों में शांति और सुकून बनाए रखना, द्विपक्षीय रिश्तों के पूरे विकास के लिए जरूरी है। मौजूदा कूटनीतिक और सैन्य चैनलों का इस्तेमाल जारी रखने पर सहमति बनी, ताकि बाकी मुद्दों को सुलझाया जा सके और एलएसी पर गलतफहमी और गलत अंदाजे से बचा जा सके। केंद्र ने हालांकि पिछले सप्ताह इन खबरों को खारिज किया था।

अरुणाचल सीएम ने खबरों का खंडन किया: इधर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इन खबरों का खंडन किया और कहा, वे सेना और स्थानीय संगठनों से बात करके पता लगाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था।

पाक, सऊदी-तुर्किये समझौते के प्रभावों का आकलन कर रहे: भारत ने साफ किया कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने यह बात हाल में पाक, सऊदी व तुर्किये के बीच हुए रक्षा समझौते के संदर्भ में कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा कि भारत इसके प्रभावों का अध्ययन कर रहा है।

पीओके में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई लेकर पाक को घेरा: भारत ने पीओके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी कार्रवाई को लेकर पाक की कड़ी आलोचना की। जैसवाल ने कहा, पीओके में जनता के असंतोष का जवाब पाकिस्तान के अधिकारियों ने गोलियों और ब्लैकआउट से दिया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने मीडिया से चर्चा की।

बांग्लादेश की हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर विचार हो रहा : भारत

नई दिल्ली। भारत ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश सरकार की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर तय प्रक्रियाओं के अनुसार विचार किया जा रहा है। नई दिल्ली का यह बयान ढाका द्वारा एक बार फिर हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करने के एक दिन बाद आया है, जब भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की ओर से इस मामले पर तय प्रक्रियाओं के अनुसार विचार किया जा रहा है।

अंतरिक्ष की दुनिया में नए शिखर पर भारत

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास इंसानों के लिए पहला स्थायी ठिकाना बनाने की योजना में शामिल होने का न्योता दिया।

दोनों देशों ने पिछले सप्ताह बेंगलुरु में हुई सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि नासा ने इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। यह दोनों देशों के बीच आर्टेमिस समझौते के तहत पहले से चल रही साझेदारी को आगे बढ़ाना है।

बैठक में अमेरिका-भारत की ट्रस्ट पहल के तहत नागरिक और अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाया गया। इसका उद्देश्य रक्षा, एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।

निसार मिशन को मिली थी सफलता : संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने पिछले साल नासा-इसरो के संयुक्त निसान मिशन की सफल लॉन्चिंग के बाद सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सीएसजेडब्ल्यूजी की नौवीं बैठक की मेजबानी भारत ने पांच और छह अगस्त को बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में की। बैठक के शुरुआती सत्र को इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने संबोधित किया।

मून बेस मिशन का उद्देश्य चांद पर ठिकाना बनाना है

मून बेस मिशन का उद्देश्य चांद पर एक ऐसा स्थायी ठिकाना तैयार करना है, जहां अंतरिक्ष यात्री रह सकें, काम कर सकें और चांद पर शोध व खोज कर सकें। यह काम कई मानवयुक्त और बिना इंसान वाली अंतरिक्ष उड़ानों के जरिए चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। अमेरिका और भारत इस मिशन में सहयोग बढ़ाने और भविष्य की विज्ञान तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान तकनीकों पर साथ काम करेंगे।

विदेश 30s

ईरान पर नए प्रतिबंध लगाएंगे: डोनाल्ड ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान पर नए प्रतिबंध लगाएंगे। तेहरान वित्तीय दबाव के कारण जंग को खत्म कर सकता है। ट्रंप ने ईरान द्वारा होर्मुज को फिर से खोलने व युद्ध का हर्जाना मांगने पर उसका मजाक उड़ाया। कहा, वे इसके उलट पिछले 50 वर्षों के नुकसान और सैनिकों की मौतों के लिए ईरान से मुआवजे मांगेंगे।

भारतवंशी सीईओ को चार महीने की सजा

वाशिंगटन। स्पाइनल इम्प्लांट बनाने वाली कंपनी के भारतीय मूल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीईओ) आदित्य हुमाद को अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने सर्जनों को रिश्वत देने के आरोप में चार माह जेल की सजा सुनाई है। उन्होंने सर्जनों को कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बदले में दिखावटी कंसल्टिंग फीस के तौर पर रिश्वत दी थी। उनपर 540000 डॉलर की रिश्वत देने का आरोप है।

पोत पर हूती विद्रोहियों के हमले में चार मरे

काहिरा। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने मंगलवार को बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में एक व्यापारिक पोत पर मिसाइलें दागीं, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। यमन सरकार के परिवहन मंत्रालय ने बताया, मृतकों में तीन पाकिस्तान और एक इंडोनेशियाई नागरिक शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि हूती विद्रोहियों ने यमन के एक वाणिज्यिक जहाज पर तीन बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इस हमले में यमन का एक बचावकर्मी घायल हो गया।

अमेरिका में आव्रजन से जुड़े आवेदन ऑनलाइन होंगे

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में आव्रजन से जुड़े आवेदन मंगलवार से ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जमा हो सकेंगे। ग्रीनकॉर्ड, नागरिकता, रोजगार आवेदन के लिए भी यही प्रक्रिया होगी।

अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा के नए नियमों के तहत, जो फॉर्म 180 दिनों से अधिक समय से ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उन्हें केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही जमा करना अनिवार्य किया जा रहा है।

अमेरिकी अफसरों के मुताबिक, एक ऐसी प्रक्रिया भी तय हुई है, जिसके तहत कम से कम 60 दिनों की सूचना देकर किसी फॉर्म को सिर्फ ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसका मकसद कामकाज को ज्यादा असरदार बनाना और परिचालन लागत को कम करना है। यह बदलाव उन फॉर्म पर लागू होगा जो पहले से ई-फाइलिंग के लिए मौजूद हैं।

श्रीलंका में नई आव्रजन नीति को मंजूरी मिली

कोलंबो। श्रीलंका सरकार ने भारत में रह रहे उन शरणार्थियों की स्वैच्छिक वापसी को आसान बनाने को विशेष आव्रजन व्यवस्था को मंजूरी दे दी, जो दशकों लंबे गृहयुद्ध के दौरान बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के श्रीलंका छोड़कर चले गए थे। सरकार ने मंगलवार को कहा, इसका उद्देश्य उन शरणार्थियों के सामने आने वाली कानूनी अड़चनों को दूर करना है, जो बिना मंजूरी के श्रीलंका छोड़कर गए थे।

डोभाल से बोले गोर, भारत के साथ साझेदारी अहम

नई दिल्ली, वि.सं.। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की। इस दौरान गोर ने कहा कि भारत से साझेदारी अहम है। वहीं, दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।

मध्य पूर्व संघर्ष के चलते बदलती भू राजनीतिक स्थितियों के मद्देनजर इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। गोर ने एक दिन पहले ही विदेश सचिव विक्रम मिसरी से भी मुलाकात की थी। पिछले दिनों अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस के प्रधानमंत्री से फोन पर वार्ता के तुरंत बाद ये मुलाकातें हुई हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दोनों देशों के बीच यह कूटनीतिक तेजी पाकिस्तान, सऊदी अरब व तुर्किये के बीच हुए रक्षा समझौते के मद्देनजर भी अहम है। सूत्रों ने कहा कि बैठक में रक्षा, व्यापार व अहम खनिजों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। गोर ने बैठक के बाद एक्स पर इसकी जानकारी दी। उधर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा, बैठकें दोनों देशों के बीच साझा हो रही रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करने का अवसर थीं।

सर्जियो गोर।

अजीत डोभाल।

इमरान की सेहत को लेकर देश में घबराहट : पीटीआई

पेशावर, एजेंसी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने मंगलवार को कहा, पार्टी संस्थापक इमरान खान की सेहत को लेकर आ रही चिंताजनक खबरों से पूरे देश में बेचैनी और घबराहट है।

पार्टी ने सरकार से मांग की कि उन्हें इमरान खान से मिलने की इजाजत दी जाए। पार्टी का यह बयान पत्रकार वजाहत सईद खान की उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें इमरान की हिरासत में कथित मौत की बात कही गई थी। इमरान की सेहत और उनसे न मिल पाने को लेकर पहले से ही चिंताएं बनी हुई थीं और इस रिपोर्ट से समर्थकों में आक्रोश बढ़ रहा है। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं।

पाकिस्तान में पीटीआई नेता की गोली मारकर हत्या

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को एक पीटीआई नेता को गोली मार दी। पुलिस का दावा है कि वह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से जुड़ा था।

आरोप है कि उसने कथित तौर पर रावलपिंडी के गैरीसन शहर में सेना के जनरल मुख्यालय के नजदीक माल रोड पर एक चेक पोस्ट पर पुलिस पर गोलीबारी की थी। रावलपिंडी पुलिस ने बयान में कहा कि हमलावर मुहम्मद हुसैन जवाबी कार्रवाई में तुरंत मारा गया। मृतक के मोबाइल फोन से मिले सबूतों से पता चलता है कि वह एक राजनीतिक दल से जुड़ा था। सरकारी पीटीवी न्यूज ने कहा कि हमलावर खैबर जिले का निवासी था और पीटीआई का सक्रिय सदस्य था।

टैरिफ मुद्दे को ट्रंप और मोदी सुलझा लेंगे : पीटर नवारो

वाशिंगटन, एजेंसी। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार पीटर नवारो ने मंगलवार को कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका की ओर से लगाए जाने वाले संभावित टैरिफ के मुद्दे को आपस में मिलकर सुलझा लेंगे। ट्रंप और मोदी के बीच अच्छे कामकाजी संबंध हैं।

नवारो ने यह बात ऐसे समय कही, जब कुछ दिन पहले अमेरिकी सीनेट ने एक विधेयक पारित किया। इसमें ट्रंप को रूस से तेल खरीदने वाले शीर्ष पांच देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देने की बात कही गई। तर्क दिया गया कि रूस के साथ इस तरह का कारोबार सीधे तौर पर यूक्रेन युद्ध को आर्थिक मदद देता है।

सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद को मौत की सजा

फैसला

दमिश्क, एजेंसी। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके छोटे भाई को मंगलवार को अदालत ने मानवता और युद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई।

हालांकि जिस समय सजा सुनाई गई, वह अदालत में मौजूद नहीं थे। इसी मामले में उनके ममेरे भाई आतिफ नजीब को भी मृत्युदंड दिया गया। यह सजा उन्हें सीरिया के 14 साल लंबे संघर्ष के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए सुनाई गई। इस संघर्ष में लगभग पांच लाख लोग मारे गए थे। नजीब ने दक्षिणी प्रांत दारा में उस कार्रवाई का नेतृत्व किया था, जिसके कारण विद्रोह और बाद में गृह युद्ध शुरू हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच, जब न्यायाधीश ने सजा सुनाई, तो नजीब कैदी की पोशाक पहने एक पिंजरे के अंदर खड़े थे। दिसंबर 2024 में जब विद्रोहियों ने दमिश्क में प्रवेश किया, तो असद और उनके भाई माहेर रूस भाग गए। बाद में नजीब को हिरासत में ले लिया गया और वह उन सबसे ऊंचे ओहदे वाले अधिकारियों में से एक बन गए, जिनपर मुकदमा चलाया गया।

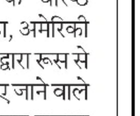

मानवता और युद्ध अपराधों के लिए कोर्ट ने सुनाया आदेश

रूस में हैं पूर्व शासक : दिसंबर 2024 में जब विद्रोही ताकतों ने दमिश्क को घेरा, तब बशर अल-असद अपने परिवार के साथ मॉस्को भाग गए थे। हालांकि, नजीब सीरिया में ही रुक गए थे, जिन्हें बाद में हिरासत में लेकर मुकदमा चलाया गया। बता दें, सीरिया में असद परिवार का शासन करीब पचास साल तक चला।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग

संक्षिप्त विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरूष/महिला शाखा) मुख्य परीक्षा–2025** के अन्तर्गत **कम्प्यूटर** विषय की परीक्षा दिनांक–**16.08.2026** को प्रदेश के **लखनऊ** जनपद में आयोजित होनी है। उक्त परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र एवं विस्तृत जानकारी आयोग की बेवसाइट **https://uppsc.up.nic.in** पर उपलब्ध है।

संख्या– 05/18/ई–6/एल0टी0 ग्रेड/2025–26 (शैलेन्द्र सिंह)
दिनांक: प्रयागराज, 11 अगस्त, 2026 अनुसचिव

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्य प्रदेश

एनएचएम भवन, पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नं-3, भोपाल-462003 (म.प्र.)

क्र/एनएचएम/एचआर/ई-937715/2026/1828 भोपाल, दिनांक- 10/08/2026

विज्ञापन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश अन्तर्गत संविदा **विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक** के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करता है, यह अनुबंध 31 मार्च 2027 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा:-

पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	आयु सीमा
संविदा विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक	52	प्रति माह 25300/- रूपये	MBA (2 Years-Any Stream) OR Master of Public Health (MPH) Master of Hospital Management/ Administration Master of Health Care Management/Administration PG Diploma in Hospital Management/Administration. PG Diploma in Health Care Management/Administration **(Above all Qualification must be Regular course from recognized university only)** **OR** Post Graduate Diploma in Management Post Graduate Diploma in Business Administration (PGDBA) **(Above all Qualification must be Regular course from recognized university only-** **Essential Computer Qualification:** Minimum 1 Year Degree/Diploma in Computers. **Essential Experience: Minimum 2 years of post Essential qualification experience** in Health Sector/Public Health Programme with Government/Non Government Sector.	21-40 वर्ष अधिकतम् आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्तजन /महिलाओ (अनारक्षित/आरक्षित) अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट (01/01/2026 की स्थिति में)

आवेदन एम.पी. ऑनलाईन के बेब पोर्टल **http:// www.mponline.gov.in** एवं **http:/iforms.mponline.gov.in** के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए लिंक दिनांक 10/08/2026 से उपलब्ध की जायेगी। ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि 25/08/2026 है। ऑफ लाईन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य/स्वीकार नही किये जायेगें।

2- पद हेतु आरक्षण निम्नानुसार रहेगा:-

POST NAME	TOTAL POST	UR (27%)		ST (20%)		SC (16%)		OBC (27%)		EWS (10%)		Reserved posts for PwD candidates of MP domicile among vacancies			
		OPEN	FEMALE	OPEN	FEMALE	OPEN	FEMALE	OPEN	FEMALE	OPEN	FEMALE	VI	HI	(LD)	MD
Contractual Block Program Manager	52	10	5	6	4	5	3	9	5	3	2	-	2	1	-

- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizontal) के आधार पर 06 प्रतिशत प्रस्ताव तैयार किया गया है। निःशक्तजनों के लिए कुल रिक्तियों में से आरक्षित है, जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदो के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग /ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
3. निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयमेव निरस्त माने जावेंगे।
4. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत निरस्त अथवा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

(मिशन संचालक, एन एच एम, द्वारा अनुमोदित)

अपर मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

G-17007/26

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस स्टेप-इलेवन लिमिटेड और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा नोएडा, उत्तर प्रदेश स्थित डेटा सेंटर पार्क के लिए पैरेलल डिस्ट्रिब्यूशन लाइसेंस हेतु दायर आवेदन के संबंध में

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस स्टेप-इलेवन लिमिटेड और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड

अदाणी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, निकट वैष्णो देवी सर्कल, शांतिग्राम, एस जी हाईवे, अहमदाबाद, गुजरात – 382421 ईमेल: saloni.fulmali@adani.com सीआईएन: U27104GJ2024PLC157135

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम, २००३ की धारा १५(२)(i) के तहत सूचना, अदाणी एनजी सॉल्यूशंस स्टेप-इलेवन लिमिटेड और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा विद्युत अधिनियम, २००३ की धारा १४ और धारा १५ के अंतर्गत पैरेलल डिस्ट्रिब्यूशन लाइसेंस के लिए दायर आवेदन पर सुझाव, टिप्पणी और आपत्ति आमंत्रित करने हेतु (उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका नंबर २०२५ का २३३३)

१. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस स्टेप-इलेवन लिमिटेड (एईएसएसईएल) कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के तहत बनी एक कंपनी है, जो भारत में बिजली से जुड़े ढांचागत कार्यों के विकास और प्रबंधन तथा अन्य संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के कारोबार के लिये उपास्थित कि गई है। ऑपरेटर के तौर पर एईएसएसईएल ने अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ मिलकर, डीसी डेवलपमेंट नोएडा लिमिटेड द्वारा प्लॉट २०, सेक्टर ६२, नोएडा, उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे डेटा सेंटर पार्क में बिजली की आपूर्ति और वितरण के लिए पैरेलल डिस्ट्रिब्यूशन लाइसेंस हेतु आवेदन दायर किया है। यह आवेदन विद्युत अधिनियम, २००३ ('अधिनियम') की धारा १४ और धारा १५, धारा ८६(१)(डी) के साथ पढ़ी जाने पर, यूपीईआरसी (डिस्ट्रिब्यूशन लाइसेंस की सामान्य शर्तें) वनियिम, २००४ ('यूपीईआरसी डिस्ट्रिब्यूशन लाइसेंस वनियिम'), डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस (पूंजी पर्याप्तता, साख और आचार संहति की अतरिक्ति शर्तें) नयिम, २००५ ('डिस्ट्रिब्यूशन लाइसेंस नियम') तथा इसके संशोधन, उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या ४४४/२४-पी-३-२०२३ दिनांक १०.०३.२०२३, और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति २०२१ (०७.११.२०२२ को संशोधित) ('डीसी नीति') के अनुसार याचिका नंबर २०२५ का २३३३ के तहत दर्ज किया गया है। माननीय आयोग ने ३०.०७.२०२६ को यह आवेदन स्वीकार कर लिया है और एईएसएसईएल को अधिनियम की धारा १५(२) के तहत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।

२. प्रस्तावित आपूर्ति क्षेत्र का विवरण: एईएसएसईएल ने डीसी डेवलपमेंट नोएडा लिमिटेड द्वारा प्लॉट सी-२०/१ए/१०, सेक्टर ६२, नोएडा, उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे डेटा सेंटर पार्क में बिजली की आपूर्ति और वितरण के लिए पैरेलल डिस्ट्रिब्यूशन लाइसेंस हेतु आवेदन दायर किया है। यह डेटा सेंटर पार्क अधिसूचना संख्या ४४४/२४-पी-३-२०२३ दिनांक १०.०३.२०२३ और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति २०२१ (०७.११.२०२२ को संशोधित) के दायरे में आता है, और विद्युत अधिनियम, २००३ तथा इसके तहत बने नियमों के अनुसार पैरेलल डिस्ट्रिब्यूशन लाइसेंस के लिए तय 'न्यूनतम आपूर्ति क्षेत्र' की शर्त को पूरा करता है।

३. याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) के तहत १७.१२.२०२४ को बनी एक कंपनी है, जिसका कॉर्पोरेट पहचान नंबर (सीआईएन) U27104GJ2024PLC157135 है।

४. यह आवेदन/याचिका निरीक्षण के लिए वेबसाइट www.adanienergysolutions.com पर और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस स्टेप-इलेवन लिमिटेड के कार्यालय, अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड कार्यालय, ९वीं मंजिल, शालीमार इरीडियम, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, यूपी २२६ ०१० पर उपलब्ध है।

५. एईएसएसईएल पुष्टि करता है कि उसने डिस्ट्रिब्यूशन लाइसेंस नियमों और उसके संशोधनों के तहत तय अतिरिक्त शर्तों का पूरी तरह पालन किया है। इन शर्तों के पालन से जुड़े दस्तावेज डिस्ट्रिब्यूशन लाइसेंस आवेदन का हिस्सा हैं और उपरोक्त वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

६. इस मामले में माननीय उ. प्र. विद्युत नियम आयोग द्वारा ०५.०८.२०२६ को पारित आदेश के अनुसार, आम जनता और अन्य संबंधित पक्षों ('सूचनार्थी') को सूचित किया जाता है कि जो कोई भी इस लाइसेंस को दिए जाने पर सुझाव, टिप्पणी या आपत्ति देना चाहता है, वह इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (३०) दिनों के भीतर सचिवश्री, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ – २२६ ०१० के पास डाक के माध्यम से भेजे, साथ ही इसकी सॉफ्ट कॉपी secretary@uperc.org पर ईमेल करे। इसका एक प्रमाण एईएसएसईएल को भी ईमेल saloni.fulmali@adani.com पर भेजना होगा।

७. यदि माननीय आयोग बाद में कोई संशोधन या बदलाव की अनुमति देता है, जिससे लाइसेंस याचिका में कोई फेरबदल होता है, तो एईएसएसईएल ऐसे बदलावों को या पूरी नोटिस को फिर से प्रकाशित करने का वचन देता है, ताकि जनता से दोबारा सुझाव और टिप्पणी मांगी जा सके, और अधिनियम की धारा १५ तथा यूपीईआरसी विनियम, २००४ की शर्तों का पालन किया जा सके।

हस्ताक्षरित
सलोनी फुलमाली
(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस स्टेप-इलेवन लिमिटेड

दिनांक: **१२.०८.२०२६**
स्थान: **मुंबई, महाराष्ट्र**

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

.....भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, दक्षिण दिल्ली, 4वां तल, 7, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली–110066 ईमेल: cs4168@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम: / खाते का नाम: / उधारकर्ता/गारंटर/ खाते का नाम और पता:	बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्तियों का बंधककर्ता)	(A) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि (B) मांग सूचना के अनुसार राशि (C) सरफैसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि (D) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	(A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं नं.
1	**पीएनबी शाखा नांगल देवत नई दिल्ली** **मैसर्स दादी माँ ओवरसीज, अपने प्रोपराइटर श्री करण अरोड़ा के माध्यम से,** संपत्ति नगरपालिका नं. 580–581 (दुकान नं. 3, 5 एवं 6), श्रद्धानंद मार्केट, गली चाह शिरीन, पी.एस. लाहौरी गेट, दिल्ली – 110006 **श्री करण अरोड़ा पुत्र श्री सुभाष चंद अरोड़ा,** नगरपालिका नं. 580–581 (दुकान नं. 3, 5 एवं 6), श्रद्धानंद मार्केट, गली चाह शिरीन, पी.एस. लाहौरी गेट, दिल्ली – 110006 **श्री करण अरोड़ा पुत्र श्री सुभाष चंद अरोड़ा,** 41/44, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली – 110026 **श्री करण अरोड़ा पुत्र श्री सुभाष चंद अरोड़ा,**जे–3/99, राजौरी गार्डन, द्वितीय तल, नई दिल्ली – 27 **श्री करण अरोड़ा पुत्र श्री सुभाष चंद अरोड़ा,** ए–2/268, पश्चिम विहार, नई दिल्ली	1. दुकान नंबर 3 का वह समस्त भाग एवं अंश जो संपत्ति नगरपालिका संख्या 580–581, शारदानंद मार्केट जी बी रोड, लाहौरी गेट दिल्ली – 110006 पर स्थित है जो श्री करण अरोड़ा के नाम पर है, जिसका कवर्ड एरिया 5.94 वर्ग मीटर/63.93 वर्ग फीट (लगभग) है। संपत्ती आईडी:– PUNBWVB28409473 अक्षांक्ष : 28.653562, देशांतर : 77.219395 2. दुकान नंबर 5 का वह समस्त भाग एवं अंश जो संपत्ति नगरपालिका संख्या 580–581, शारदानंद मार्केट जी बी रोड, लाहौरी गेट दिल्ली – 110006 पर स्थित है जो श्री करण अरोड़ा के नाम पर है, जिसका कवर्ड एरिया 7.25 वर्ग मीटर/78.04 वर्ग फीट (लगभग) है। संपत्ती आईडी:– PUNBWVB0028409473 अक्षांक्ष : 28.653562, देशांतर : 77.219395 3. दुकान नंबर 6 का वह समस्त भाग एवं अंश जो संपत्ति नगरपालिका संख्या 580–581, शारदानंद मार्केट जी बी रोड, लाहौरी गेट दिल्ली – 110006 पर स्थित है जो श्री करण अरोड़ा के नाम पर है, जिसका कवर्ड एरिया 5.74 वर्ग मीटर/62.00 वर्ग फीट (लगभग) है। संपत्ती आईडी:– PUNB00EOL021705 अक्षांक्ष : 28.653562, देशांतर : 77.219395	A) 17.01.2019 B) Rs. 24.35 लाख + अतिरिक्त ब्याज एवं खर्चे C) 27.10.2021 D) सांकेतिक	A) रु. 13.87